



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215978
CG-DL-E-06022020-215978

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]
No. 50]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 53(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 130, 182ए, 184, 198ए, 210ए, 210बी, 210सी, 210डी, 213 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), ईमेल: jspb-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।
(2) बशर्ते, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसमें इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में

(i) नियम 2 में, खंड (सी) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(सीए) चालान" का तात्पर्य है, किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अपनी तरफ से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक दस्तावेज, जो अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को रसीद के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें किए गए अपराध और अपराधी का विवरण, लगाए गए जुर्माने की राशि और उसे वसूलने का तरीका, यदि लागू हो, इस तरह का दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी का ब्यौरा और अन्य विवरण, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हो सकते हैं, दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: अधिनियम और इसके सदृश नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनार्थ, ई-चालान का तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया गया चालान होगा।

(ii) नियम 2 में, खंड (सीए) को "(सीएए)" के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

(iii) नियम 21 में, उप-नियम 1 के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः

"बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण संबंधित पोर्टल पर कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को नियमित रूप से पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।"

(iv) नियम 21 में, उप-नियम 25 को लोप किया जाएगा।

(v) नियम 92 में, उप-नियम 2 में, खंड (सी) के पश्चात् और प्रथम परंतुक के पूर्व, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(डी) जो निर्यात के प्रयोजनार्थ विनिर्मित है, जिसमें वाहनों के निर्माता या डीलर, जैसा भी मामला हो, की देखरेख में ऐसे वाहनों को विनिर्माण संयंत्र से निर्यातक बंदरगाह तक के साथ-साथ इस प्रकार के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित अन्य स्थान पर सड़क मार्ग से लाना-ले जाना शामिल है।"

(vi) नियम 139 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

"139. लाइसेंस और पंजीकरण का प्रमाण पत्र पेश करना।

(1) किसी भी मोटर वाहन के चालक या कंडक्टर को वर्दीधारी किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उनकी तरफ से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पंजीकरण, बीमा, फिटनेस और परमिट के प्रमाण पत्र, प्रदूषणाधीन जांच के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों के प्रमाण पत्र वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसा कि डिजीलॉकर एप्लिकेशन या एमपरिवहन एप्लिकेशन अथवा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य ऐसे एप्लिकेशन पर उपलब्ध या वहां से डाउनलोड किया गया हो, को पेश करना होगा और यदि इन दस्तावेजों में से कोई एक भी या सभी उसके पास नहीं हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित दस्तावेजों का उद्धरण पेश करेगा या इसे वह दस्तावेजों की मांग करने वाले अधिकारी को मांग की तारीख से 15 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा।

(2) वर्दीधारी किसी भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उनकी तरफ से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, यदि दस्तावेज वैध और प्रवृत्त पाए जाते हैं, तो फिर ऐसे दस्तावेजों के वास्तविक रूपों की जांच की मांग नहीं की जाएगी, इनमें ऐसे मामले शामिल हैं, जहां किए गए किसी अपराध के लिए ऐसे किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता है।"

(3) उप-नियम (1) के तहत किसी भी दस्तावेज की मांग करने या उसकी जांच करने पर जांच की तारीख और समय की मोहर तथा वर्दीधारी पुलिस अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा उनकी तरफ से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।"

(vii) नियम 139 के पश्चात्, निम्नलिखित नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः; -

"139क दस्तावेजों की जब्ती

मोटर वाहन के संबंध में निम्नलिखित कृत्य करने के लिए वर्दीधारी कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उनकी तरफ से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी, धारा 213 की उप-धारा (5) के खंड (डी) के तहत सहायता स्वरूप मोटर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट या ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां जब्त या ले सकता है, जैसा कि आवश्यक हो:-

- (क) किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दोषपूर्ण मोटर वाहन या ट्रेलर को चलाने के परिणामस्वरूप शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने।
- (ख) सड़क सुरक्षा, प्रदूषण और शोर के संबंध में विनिर्दिष्ट मानकों का उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन चलाना।
- (ग) माल दुलाई से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन चलाना, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या खतरनाक प्रकृति के हैं।
- (घ) ऐसे पंजीकृत मोटर वाहन का स्वामित्व या बिक्री करना, जिसके लिए झूठी सूचना या दस्तावेज के आधार पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
- (ङ.) धारा 66 (1) के उल्लंघन में या जिस मार्ग पर वाहन का उपयोग किया जा सकता है, उससे संबंधित किसी भी परमिट शर्त के उल्लंघन में मोटर वाहन का उपयोग करना।
- (च) बिना बीमा वाले या बीमा समाप्त वाले मोटर वाहन चलाना।

139ख. इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की जब्ती - (1) ऐसे मामलों में जहां किसी भी दस्तावेज को जब्त करने की आवश्यकता होती है, और ऐसे दस्तावेज नियम 139 (2) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, किसी भी पुलिस अधिकारी या उनकी ओर से अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उनका जब्तीकरण किया जाता है, को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाला जाना चाहिए।

(2) जब्त किए गए दस्तावेजों का विवरण कालानुक्रमिक रूप में संबंधित पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा और इस तरह के रिकॉर्ड को पोर्टल पर नियमित रूप से दर्शाया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अनुसार किसी भी दस्तावेज को जब्त करने पर, वर्दी में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी जब्ती को स्वीकार करते हुए वास्तविक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक रसीद जारी करेगा।

(4) उप-नियम (1) के अनुसार किसी भी दस्तावेज को जब्त करने पर जब्ती की तारीख और समय की मोहर और वर्दी में पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पहचान पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।;

(viii) नियम 164 के पश्चात, निम्नलिखित नियमों को अंतर्निहित किया जाएगा: -

"164 क. अधिनियम के शास्ति संबंधी प्रावधानों का अधिक्रमण:

मोटर यान (चालन) विनियम, 2017 के उल्लंघन के लिए शास्ति, धारा 177 ए के अनुसार कुछ इस तरह से होगा कि इस तरह के उल्लंघन के लिए विशिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हो अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान नहीं की गई हो।;

165. हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग - धारा 184 के स्पष्टीकरण के खंड (सी) के प्रयोजनों के संबंध में चालन करते समय हाथ में संचार उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से मार्ग पथप्रदर्शन के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता भंग न हो।;

166. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानक - (1) राष्ट्रीय राजमार्गों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्दिष्टियों जो भी लागू हो अथवा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य अनुदेश अथवा दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा।

- (2) राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कों का डिजाइन, निर्माण और रखरखाव भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों और विनिर्दिष्टियों जो भी लागू हो अथवा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य अनुदेश अथवा दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा।
- (3) केंद्र या राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन से पूर्व जैसा भी मामला हो, के शर्ताधीन उप-नियम (1) या (2) के अंतर्गत जारी अनुप्रयोज्य मानकों, विशिष्टताओं, अनुदेशों और दिशानिर्देशों से विपथन को स्थानीय परिस्थितियों के कारण शामिल किया जा सकता है परन्तु यह स्थल की विवशता अथवा निर्मित क्षेत्र अथवा भूमि अधिग्रहण तक सीमित नहीं हो एवं उक्त अनुमोदन की एक प्रति को संगत संविदा के एक हिस्से के रूप में लगाया जाएगा।
- (4) संगत संविदा स्पष्ट तौर पर अधिकृत प्राधिकरण, परामर्शदाता और रियायतग्राही को परिभाषित करेगा।

167. जुर्माना के लिए अनुप्रयुक्त किया जाने वाला गुणक: - धारा 210 ए के अंतर्गत एक गुणक को उल्लिखित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार निम्नलिखित कारकों में से किसी एक पर विचार कर सकती है:

- (1) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियों द्वारा सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, किए गए अपराधों, लगाए गए जुर्माना और शास्तियों के संबंध में इकट्ठा किए गए आंकड़ें अथवा;
- (2) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद अथवा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा दी गई सलाह को या तो स्वतः अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ पर संज्ञान; या
- (3) कोई अन्य कारक जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

168. चालान जारी करने और भुगतान करने की प्रक्रिया : - (1) अधिनियम के अंतर्गत अपराध के मामले में, वर्दी में पुलिस अधिकारी या उनकी तरफ से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी बिक्री प्रणाली के किसी ऑनलाइन पाइंट अथवा ई-चालान सुविधा या चालान जारी करने के ऐसा कोई अन्य तरीका जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, के माध्यम से चालान जारी करेगा।

- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी किए गए चालानों के विवरण को प्रवर्तन अधिकारियों तक पहुंच के लिए नियमित आधार पर संगत पोर्टल पर कालानुक्रमिक के अनुसार दर्ज किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी किए गए चालान का वास्तविक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में चालान के जारी होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदालत द्वारा अभियोजन के लिए लगाए गए अपराधों को छोड़कर निपटान किया जाएगा।
- (4) यदि किसी अदालत द्वारा अभियोजन के लिए लगाए गए अपराधों के मामलों को छोड़कर, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट समयावधि के बाद भी बकाया है, तब चालान में उल्लिखित लाइसेंस अथवा मोटर वाहन के पंजीकरण के संबंध में मोटर वाहन के परमिट, फिटनेस और करों से संबंधित आवेदनों को छोड़कर, आवेदनों को लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा जैसा भी मामला हो, प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा।”

[सं. आरटी-11036/65/2019-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या (अ), दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2020

G.S.R. 53(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 130, 182A, 184, 198A, 210A, 210B, 210C, 210D of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules). -

(i) in rule 2, after clause (c), the following shall be inserted namely –

“(ca) Challan” means a document, in physical or electronic form issued by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, to a person acting in violation of the Act, in the form of a receipt comprising the details of the offence committed and the offender, the amount of penalty imposed and mode of collection of the same, if applicable, details of the officer issuing such document and other details as may be specified by the State Government.

Explanation: For the purposes of the Act and its corresponding rules and regulations, E-challan shall mean a challan issued in electronic form.

(ii) in rule 2, clause (ca) shall be renumbered as “(caa)”.

(iii) in Rule 21, after sub-rule 1, the following sub-clause shall be inserted, namely:

“(2) Details of driving licences disqualified or revoked by the licensing authority shall be recorded chronologically in the relevant Portal and such record shall be reflected on a regular basis on the Portal.”

(iv) in rule 21, sub-rule 25 shall be omitted.

(v) in rule 92, in sub-rule 2, after clause (c) and before first proviso, the following shall be inserted, namely. -

“(d) which is manufactured for the purposes of export including the movement of such vehicle by road from manufacturing plant to port of the export as well as any other location relevant for the purposes of facilitating such export, under the supervision of the vehicles manufacturer or dealer, as the case may be.”

(vi) for the rule 139, the following shall be substituted namely. -

“139. Production of licence and certificate of registration.

- (1) Subject to sub-rule (2), the driver or conductor of a motor vehicle shall produce certificates of registration, insurance, fitness and permit, the driving licence certificate for Pollution Under Check and any other relevant documents in physical or electronic form, as available on or downloaded from the DigiLocker application or mParivahan application, on demand by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, and if any or all of the documents are not in his possession, he shall produce in person an extract or extracts of the documents duly attested by any police officer or by any other officer or send it to the officer who demanded the documents by registered post within 15 days from the date of demand.
- (2) After validation of the documents in electronic form, referred to in sub-rule (1), by any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf, if the documents are found to be valid and in force, then physical forms of such documents shall not be demanded for inspection, including in cases where there is an offence made out necessitating seizure of any such documents.
- (3) Upon demanding or inspecting any documents under sub-rule (1), the date and time stamp of inspection and identity of the police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government, shall be recorded on the Portal.”

(vii) After rule 139, the following rules shall be inserted, namely; -

“139A. Seizure of documents

Any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf shall, in furtherance of clause (d) of sub-section (5) of section 213, seize or take copies of the registration certificate, permit or such other documents of a motor vehicle, as it may deem necessary, for commission of the following acts with regard to a motor vehicle: -

- (a) Driving a defective motor vehicle or trailer in any public place resulting in bodily injury or damage to property.
- (b) Driving a motor vehicle which is in violation of standards specified with regard to road safety, pollution and noise.
- (c) Driving a motor vehicle which is in violation of rules relating to carriage of goods which are of dangerous or hazardous nature to human life
- (d) Owning or selling a registered motor vehicle wherein the certificate of registration has been obtained on the basis of false information or documentation.
- (e) Using a motor vehicle in contravention of Section 66(1) or in contravention of any permit condition relating to a route on which the vehicle may be used.
- (f) Driving of an uninsured motor vehicle or a motor vehicle whose insurance has expired.;

139B. Seizure of documents produced in electronic form. - (1) In cases where there is an offence made out necessitating seizure of any documents, and such documents are produced in electronic form in accordance with Rule 139(2), their seizure by any police officer or any other officer authorised in this behalf shall be made electronically on the Portal.

(2) Details of the seized documents shall be recorded chronologically in the relevant Portal and such record shall be reflected on a regular basis on the Portal.

(3) Upon seizing any documents in accordance with sub-rule (1), the police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government shall issue a receipt acknowledging such seizure, in physical or electronic form.

(4) Upon seizing any documents in accordance with sub-rule (1), the date and time stamp of seizure and identity of the police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government, shall be recorded on the Portal.;

(viii) After rule 164, the following rules shall be inserted, namely: -

“164A. Supersession of penalty provisions of the Act:

Penalty for violation of The Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 shall be in accordance with Section 177A to the extent that the penalties for such violations are not specifically provided for otherwise under the Act.;

165. Use of handheld device. - For the purposes of clause (c) of the explanation to Section 184, use of handheld communications devices while driving shall solely be used for route navigation in such a manner that shall not disturb the concentration of the driver while driving.;

166. Road Design, Construction and Maintenance Standards. - (1) The design, construction and maintenance of national highways shall be in accordance with the standards and specifications of the Indian Road Congress as may be applicable, or any other instructions or guidelines issued by the Central Government from time to time.

(2) The design, construction and maintenance of roads other than national highways shall be in accordance with the standards and specifications of the Indian Road Congress as may be applicable, or any other instructions or guidelines issued by the State Government from time to time.

(3) Subject to the prior written approval of the Central or State Government, as the case may be, deviations from applicable standards, specifications, instructions and guidelines issued under sub-rule (1) or (2), may be made due to local conditions including site constraints, built up area, land acquisition, and a copy of the said approval shall be annexed as part of the relevant contract.

(4) The relevant contract shall clearly define the terms designated authority, consultant and concessionaire.;

167. Multiplier to be applied to fines: - For the purposes of specifying a multiplier under section 210A, the State Government may take into consideration any of the following factors:

- (1) Data collected by the Central Government or State Government or agencies authorized by the Central Government or State Government, pertaining to road safety, traffic management, offences committed, fines and penalties levied; or
- (2) Advice rendered by National Road Safety Board, National Road Safety Council or State Road Safety Council, either suo moto or on reference made by the Central Government or State Government; or
- (3) Any other factor as may be notified by the Central Government.

168. Procedure for issuance and payment of challan: - (1) In case of commission of an offence under the Act, any police officer in uniform or any other officer authorised by the State Government in this behalf shall issue a challan through an online point of sale system or e-challan facility or such other mode of issuance of challan as may be notified by the Central Government or State Government.

(2) Details of challans issued under sub-rule (1), shall be recorded chronologically in the relevant Portal on a regular basis for access by enforcement officers.

(3) Challans issued under sub-rule (1) shall be disposed within 60 days from the date of issuance of the challan in physical or electronic form, except in case of offences instituted for prosecution by a court.

(4) If a challan is due beyond the time period specified in sub-rule (3), except in case of offences instituted for prosecution by a court, then applications with respect to the license or registration of motor vehicle, mentioned in the challan shall not be processed by the licensing authority or registering authority, as the case may be, except applications relating to permit, fitness and tax(es) of motor vehicle.”.

[No. RT-11036/65/2019-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R.....(E), Dated.....